उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–01
संख्या–425/XXII(1)/2016–7(11)2012
दिनांक : 15 सितम्बर, 2016

अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल उत्तराखण्ड "उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015" एवं अधिसूचना संख्या–101/XXII(1)/2016–7(11)2012, दिनांक 26 फरवरी, 2016 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0–273/XXII(1)/2016– 7(11)2012, दिनांक 25 मई, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित निमयावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है; अर्थात्

नियम–4 का संशोधन – नियमावली में नियम–4 जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सूचीबद्धता के लिए संचालन समिति–4. विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों की सूचीबद्धता एक समिति द्वारा की जायेगी। समिति में कुल 8 सदस्य होंगे, जिसमें से चार सरकारी तथा चार गैर सरकारी सदस्य होंगे। गैर सरकारी सदस्य नियम 5 के अनुरूप नामित पत्रकार होंगे। समिति निम्नवत् संरचित होगी :– (1) महानिदेशक, अध्यक्ष (2) अपर निदेशक, सदस्य सचिव (3) समिति में नामित चार पत्रकार, सदस्य (4) संयुक्त निदेशक अथवा उपनिदेशक (विज्ञापन) सूचना, सदस्य (5) सूचना अधिकारी, निरीक्षा शाखा,सदस्य	**सूचीबद्धता के लिए संचालन समिति– 4.** विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों की सूचीबद्धता एक समिति द्वारा की जायेगी। समिति में कुल 13 सदस्य होंगे, जिसमें से 05 सरकारी तथा 08 गैर सरकारी सदस्य होंगे। गैर सरकारी सदस्य नियम 5 के अनुरूप नामित पत्रकार होंगे। समिति निम्नवत् संरचित होगी :– (1) महानिदेशक, अध्यक्ष (2) अपर निदेशक, सदस्य सचिव (3) प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन),सदस्य (4) प्रभारी अधिकारी निरीक्षा शाखा, सदस्य (5) संबंधित जिला सूचना अधिकारी, सदस्य (7) समिति में नामित पत्रकार (आठ), सदस्य

नियम–5(क) का संशोधन –नियमावली में नियम–5(क) जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
समिति में गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल, चयन एवं पद से हटाया जाना 5.(क) समिति में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन भारतीय प्रेस परिषद् से मान्यता प्राप्त प्रिंट मीडिया संगठनों के 02 पत्रकार तथा उत्तराखण्ड श्रम विभाग से पंजीकृत प्रिंट मीडिया संगठनों के 02 पत्रकारों में से किया जायेगा। एक संगठन से केवल एक सदस्य का नामांकन किया जायेगा।	**समिति में गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल,चयन एवं पद से हटाया जाना 5.(क)** समिति में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन भारतीय प्रेस परिषद् से मान्यता प्राप्त प्रिंट मीडिया संगठनों के 02 पत्रकार तथा उत्तराखण्ड श्रम विभाग से पंजीकृत प्रिंट मीडिया संगठनों के 02 पत्रकारों में से किया जायेगा। एक संगठन से केवल एक सदस्य का नामांकन किया जायेगा। शेष चार पत्रकार मा0 सूचना मंत्री/मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किये जायेगें।

—

नियम–8(छ) का संशोधन – नियमावली में नियम–8(छ) जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8(छ) पूर्व से सूचीबद्ध समाचार, पत्रों की सूचीबद्धता नवीनीकरण की अवधि दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एद्तद्वारा प्रदान की जाती है।	**8(छ)** पूर्व से सूंचीबद्ध समाचार पत्रों की सूचीबद्धत नवीनीकरण की अवधि दिनांक 31 मार्च, 2017 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एद्तद्वारा प्रदान की जाती है।

नियम–11(ख) का संशोधन – नियमावली में नियम–11(ख) जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
समाचार पत्रों की निरीक्षा एवं नियमितता हेतु मापदण्ड–11 (ख) समाचार पत्रों की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 की व्यवस्थाें के अनुसार प्रकाशित समाचार–पत्र पत्रिकाओं की 2 प्रतियां देहरादून स्थित सूचना विभाग के महानिदेशालय में प्रकाशन के 10 दिन के अन्दर तथा संबंधित जिले के सूचना कार्यालय को प्रकाशन के 24 घण्टे के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। निर्धारित समयान्तर्गत समाचार पत्र जमा न करने अथवा एकमुश्त जंमा किये जाने वाले समाचार पत्रों को भी अनियमित माना जायेगा। समाचार पत्र को सूचना विभाग के राज्य मुख्यालय तथा संबंधित जिला सूचना कार्यालय अर्थात दोनों स्थानों से नियमित होना आवश्यक है। ऑन लाइन नियमितता भी मान्य होगी। समाचार पत्र के प्रकाशन की नियमितता प्रतिमाह 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। नियमितता के रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई समाचार पत्र अनियमित पाया जाता है तो ऐसी दशा में समाचार पत्र के पुनःनियमित होने तक उसे विज्ञापन जारी नहीं किये जायेगें तथा वह समाचार पत्र स्वतः ही विज्ञापन सूची से पृथक समझे जायेंगे। नियमितता प्रतिमाह के आधार पर तैयार की जायेगी।	**समाचार पत्रों की निरीक्षा एवं नियमितता हेतु मापदण्ड–11 (ख)** समाचार पत्रों की नियमितता सुनिश्चित करने हेतु प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 की व्यवस्था के अनुसार प्रकाशित दैनिक समाचार–पत्र पत्रिकाओं की 2 प्रतियां देहरादून स्थित सूचना विभाग के महानिदेशालय की निरीक्षा में प्रकाशन के 10 दिन के अन्दर तथा संबंधित जिले के सूचना कार्यालय को प्रकाशन के 24 घण्टे के अन्दर (यदि समाचार पत्र का प्रकाशन जिला मुख्यालय से 30 किमी. की परिधि के भीतर होता हो) अथवा 48 घण्टे (यदि समाचार पत्र का प्रकाशन जिला मुख्यालय से 30 किमी. से 50 किमी. की परिधि में होता हो) अथवा 72 घण्टे (यदि समाचार पत्र का प्रकाशन जिला मुख्यालय से 50 किमी. से अधिक दूरी पर होता हो) जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। समाचार पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवकाश होने पर वे अंक अगले कार्य दिवस पर जमा किये जा सकेगें। साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक त्रैमासिक समाचार पत्रों को उनके अगले अंक के प्रकाशन के पूर्व यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित अंक की प्रतियाँ निःशुल्क उपलब्ध करानी आवश्यक होगी। विलम्ब से जमा किये जाने वाले समाचार पत्रों को नियमितता सूची में अंकित करने हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों पर निर्णय लेने के लिए महानिदेशक, सूचना सक्षम प्राधिकारी होंगे। समाचार पत्रों के प्रकाशन की नियमितता प्रतिमाह 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। समाचार पत्र की नियमितता का आंगणन पिछले छः माह के प्राप्त अंको के कुल योग के आधार पर किया जायेगा। समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी करने हेतु संबंधित जिला सूचना अधिकारी की नियमितता रिपोर्ट को ही आधार माना जायेगा, परन्तु सूचना विभाग के राज्य मुख्यालय की निरीक्षा शाखा में नियमित रूप से समाचार पत्र जमा न करने वाले समाचार पत्रों को विज्ञापन सूची से पृथक करने का निर्णय महानिदेशक, सूचना द्वारा लिया जा सकता है।

14.9-2016

(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्या– 425(1)/XXII(1)/2016–7(11)2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।

3–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

4–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5–सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।

6–आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।

7–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।

9–वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।

10–महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

11–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।

12–उपनिदेशक, राजकीय मुद्राणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की 200 प्रतियॉ सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

14.9.2016

(विनोद शर्मा)

सचिव।

1-2016

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–01
संख्या– 424/XXII(1)/2016–7(11)2012
दिनांक : 12 सितम्बर, 2016
अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल उत्तराखण्ड "**उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015**" **एवं शासनादेश सं0–931/XXII/2016–7(11)2012, दिनांक 05 जनवरी, 2016** में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित निमयावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है; अर्थात्

नियम–10 का संशोधन – नियमावली में नियम–10 जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
विज्ञापन वितरण प्रकिया–10. प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों के सजावटी विज्ञापन का प्रकाशन सूचना विभाग के महानिदेशालय(मुख्यालय) के माध्यम से ही जारी किये जायेंगें। वर्गीकृत विज्ञापन का प्रकाशन संबंधित विभागों द्वारा स्वयं कराया जायेगा।	**विज्ञापन वितरण प्रकिया–10.** उत्तराखण्ड सरकार के समस्त शासकीय विभागो के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन सूचना विभाग के महानिदेशालय (मुख्यालय) के माध्यम से ही जारी किये जायेंगें। अनियमित समाचार पत्रों को किसी भी दशा में विज्ञापन जारी नही किये जायेंगें।

नियम–13(ग) का संशोधन –नियमावली में नियम–13(ग) जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
13(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग, निगम, उपकम, संस्था, बोर्ड, परिषद् एवं स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये सजावटी विज्ञापन डी.ए.वी.पी./विभागीय दरों पर प्रकाशित कराया जायेगा।	राज्य सरकार के समस्त शासकीय विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले सभी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन डी.ए. वी.पी./विभागीय दरों पर प्रकाशित कराया जायेगा। ऐसे निगम, उपकम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, परिषद्, बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं स्थानीय निकायों, जिनके विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर प्रकाशित नही किये जाते हैं, वे स्वयं अपने स्तर से विज्ञापन प्रकाशन हेतु स्वतंत्र होंगें, ऐसे विज्ञापनों का भुगतान भी संबंधित द्वारा किया जायेगा।

नियम–15(झ) का संशोधन – नियमावली में नियम–15(झ) जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया गया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
15(झ) वर्गीकृत विज्ञापनों का प्रकाशन एवं भुगतान संबंधित विभागों द्वारा स्वयं किया जायेगा।	समस्त शासकीय विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों का भुगतान सूचना विभाग द्वारा किया जायेगा। सजावटी विज्ञापन का भुगतान मूलतः संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग के अनुरोध पर सूचना विभाग के द्वारा भी सजावटी विज्ञापन का भुगतान किया जा सकता है।

10.9.2016
(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्या–424(1)/XXII(1)/2016–7(11)2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।

3–सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

4–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5–सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।

6–आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।

7–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।

9–वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।

10–महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

11–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।

12–उपनिदेशक, राजकीय मुद्राणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की 200 प्रतियॉ सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा) 10.9.2016

सचिव।

संलग्नक-6

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग-1
संख्या-273/XXII(1)/2016-7(11)2012
दिनांक 25 मई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र सं0-19/सू. एवंलो.सं.वि.(वि.प्र.)-42/2016, दिनांक 05 मई, 2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये समाचार पत्रों की सचीबद्धता नवीनीकरण की तिथि बढ़ाये जाने हेतु किये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यालय ज्ञाप सं.-855/XXII(1)/20157(11)2012, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 के माध्यम से प्रकाशित "उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 के नियम-8(छ) में पूर्व से सूचीबद्ध समाचार पत्रों की सचीबद्धता नवीनीकरण की अवधि दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एदतद्वारा द्वारा प्रदान की जाती है।

25.5.2016
(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्या-273 (1)/XXII(1)/2016, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
9. वित्त विभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
10. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

AD Nitin

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–1
संख्या– 93/ /XXII(1)/2016–7(11)2012
दिनांक : 05 जनवरी, 2016

अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल 'उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015' में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है; अर्थात

नियम–10 का संशोधन – मूल नियमावली में नियम–10 जो स्तम्भ–1 में दिये गये हैं के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
विज्ञापन वितरण प्रक्रिया 10. उत्तराखण्ड सरकार के समस्त शासकीय विभागों के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन सूचना विभाग के महानिदेशालय (मुख्यालय) के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे। अनियमित समाचार पत्रों को किसी भी दशा में विज्ञापन जारी नही किये जायेंगे।	विज्ञापन वितरण प्रक्रिया 10. प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों के सजावटी विज्ञापन का प्रकाशन सूचना विभाग के महानिदेशालय (मुख्यालय) के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे। वर्गीकृत विज्ञापन का प्रकाशन सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं कराया जायेगा।

नियम–13 (ग) का संशोधन –मूल नियमावली में नियम–13 (ग) जो स्तम्भ–1 में दिये गये हैं के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13. (ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग, निगम, उपक्रम, संस्था, बोर्ड, परिषद एवं स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया कोई भी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापन डी.ए.वी.पी./विभागीय दरों पर प्रकाशित कराया जायेगा।	13. (ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग, निगम, उपक्रम, संस्था, बोर्ड, परिषद एवं स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये सजावटी विज्ञापन डी.ए.वी.पी./विभागीय दरों पर प्रकाशित कराया जायेगा।

नियम–15 (झ) का संशोधन – मूल नियमावली में नियम–15 (झ) जो स्तम्भ–1 में दिये गये हैं के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15 (झ) समस्त शासकीय विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों का भुगतान सूचना विभाग द्वारा किया जायेगा।	वर्गीकृत विज्ञापनों का प्रकाशन एवं भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

संख्या– 93/ (1)/XXII(1)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त कुमाऊँ/गढवाल मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
12. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की 200 प्रतियां सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2.1.201